

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई०ए०एस० जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
झालावाड़(राजस्थान)

मिसल नं० ७७/प्रा०पत्र/२०

"एयू.सैल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड"(जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स(इंडिया)लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका बंजीकृत कार्यालय 19-ए.धुलेश्वर गार्डन,अजमेर रोड,जयपुर में स्थित व कार्यरत है।

- बनाम
- गोपालसिंह आ० कालूसिंह (ऋणी-बंधनकर्ता )  
पता- 87, पारा मोहल्ला करवन, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़  
दूसरा पता- ग्राम करवन,पट्टा नं० 4772, तहसील पचपहाड़,जिला झालावाड़
  - श्रीमति विनोद बाई पत्नी गोपालसिंह (सहऋणी)  
पता- 87, पारा मोहल्ला करवन, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
  - कालूसिंह आ० उदयसिंह (सहऋणी)  
निवासी- 87, पारा मोहल्ला करवन, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
  - मनोहरसिंह आ० रामसिंह (जमानती)  
निवासी- मकान नं० 192, करवन, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002

:- निर्णय :-

दिनांक: 22.10.2020

अहं प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जयें अधिकृत प्रतिनिधि सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी नं० 1 द्वारा वित्तीय संस्था से दिनांक 06.12.2015 को रुपये 03,00,000/- (अबारे तीन लाख रुपये) का ऋण लिया था व उक्त ऋण व उसके ब्याज के पुनर्मुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में ग्राम करवन तहसील पचपहाड़ स्थित अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं० 4772 जिसका क्षेत्रफल 1024 स्ववायर फुट है जिस पर निर्मित भवन व ढांचा आदि को भी प्रार्थी के पास रहन किया था। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को नियमानुसार ऋण नहीं चुकाने पर दिनांक 05.08.2019 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया गया। प्रार्थी बैंक ने एन पी ए घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 24.09.2019 को नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 2,91,523/- (रुपये अक्षरे दो लाख इकानवे हजार पांच सौ तेईस मात्र) दिनांक 30.08.2019 तक शेष है व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी सिक्वोरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। उपरोक्त अचल सम्पत्ति का गौतिक कब्जा दिलवाया प्रार्थी बैंक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने का अनुरोध किया गया है।

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बैंक को ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 05.08.2019 को व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित किया गया है, ऋणी के विरुद्ध रुपये 2,91,523/- (रुपये अक्षरे दो लाख इकानवे हजार पांच सौ तेईस मात्र) दिनांक 30.08.2019 तक तथा इसके बाद की ब्याज व अन्य खर्च हेतु उपरोक्तानुसार मांग की गई है, उक्त राशि का भुगतान करने के लिये ऋणी जिम्मेदार है। ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का भुगतान ऋणी द्वारा नहीं किये जाने पर बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का गौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफेसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पत्ति को बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है- बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है व इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्तानुसार प्रा०पत्र के सलंगन शपथ को दृष्टिगत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण व बकाया रकम की अदायगी हेतु ऋणी/अप्रार्थी द्वारा बैंक में गिरवीकृत ग्राम करवन तहसील पचपहाड़ स्थित अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं० 4772 जिसका क्षेत्रफल 1024 स्ववायर फुट है जिस पर निर्मित भवन व ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अंग है जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है पूर्व में रोड़, पश्चिम में मकान अमनासिंह/भैरुसिंह, उत्तर में गोपालसिंह का मकान, दक्षिण में सम्पत्ति धानीसिंह उक्त सम्पत्ति पर शांति पूर्वक मौके पर गौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी इस बाबत पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ से सम्पर्क कर ऋणी बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक व पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को पालनार्थ भिजवाई जाये। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)  
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
झालावाड़